न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 44/2015

A 1/36

वादीगण :–

1.रामप्रसाद पुत्र गोपाल
2.भंवरी देवी पुत्री गोपाल
3.सन्तोष पत्नि कालूराम
4.किशोर पुत्र कालूराम
5.शंकर पुत्र कालूराम
6.गजेन्द्र पुत्र कालूराम वादी संख्या 4 ता 6 नाबालिग जरिये संरक्षेक कुदरती वली माता सन्तोष पत्नि कालूराम जाति बावरी निवासीगण खारीया तहसील कुचामनसिटी (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण

1.पांचाराम पुत्र मानाराम जाति बावरी निवासी खारीया तहसील कुचामनसिटी (नागौर)
2.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक व खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :– 15/7/15

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम खारीया की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.74 हक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 900/94 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 901/95 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 902/96 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 903/100 रकबा 0.04 हैक्टर,खसरा नम्बर 904/101 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 5.11 हैक्टर स्थित चली आ रही है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

मानाराम (फौत)
|
नारायणी (फौत)
|
गोपाललाल (फौत) — फुलाराम (फौत) — पांचाराम

गोपाललाल (फौत):
भंवरीदेवी (पुत्री) — कालूराम (फौत) — रामप्रसाद

कालूराम (फौत):
सन्तोष (पत्नि) — किशोर(पुत्र) — शंकर(पुत्र) — गजेन्द्र (पुत्र)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A 2/37

उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि में स्व. मानाराम की सम्पूर्ण भूमि मे से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.70 हैक्टर भूमि अवस्थित रही है । जिसमें 1/2 हिस्सा नारायणीदेवी जो कि मानाराम की दूसरी विवाहित पत्नि थी उसके तीन पुत्र सन्तान उत्पन्न हुई जिसमे से दो पुत्र एक गोपाल व दुसरा फुलाराम जो कि नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका है, गोपाल के उत्तराधिकारी वादीगण तथा कालूराम का स्वर्गवास हो जाने से वादीगण संख्या 3 ता 6 चले आ रहे है । नारायणी देवी पत्नि मानाराम का काफी वर्षो पूर्व स्वर्गवास हो गया है ,एवं फुलाराम का स्वर्गवास करीबन 30 वर्ष पहले हो चुका है । अब उक्त खातेदारी भूमि में दर्ज नारायणी पत्नि मानाराम व फूलाराम पुत्र मानाराम का नाम चला आ रहा है । यह दोनो फौत हो चुके है, इनके फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम पंक्ति के वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार चले आ रहे है एवं उक्त दोनो की खातेदारी वादीगण के 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक के 1/2 हिस्सा दर्ज होनी है, उक्त अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे । उक्त पक्षकारान के अलावा कोई अन्य उक्त भूमि का वारिस नही है । मृतक नारायणी देवी एवं फुलाराम का नाम खातेदारी से हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम खातेदारी दर्ज की जावे । इसलिए यह वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत लाना आवश्यक हुआ है । उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज करने बाबत पटवारी हल्का को कहा तो उन्होने स्पष्ट मना कर दिया, तथा न्यायालय के आदेश से ऐसा किया जाना पक्षकारान को बताया । प्रतिवादी सख्यां एक सहखातेदार एवं सहहिस्सेदार होने से आवश्यक पक्षकारा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है । वादीगण की इस्तदुआ है कि कि ग्राम खारीया की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.74 हक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 900/94 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 901/95 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 902/96 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 903/100 रकबा 0.04 हैक्टर,खसरा नम्बर 904/101 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 5.11 हैक्टर मे से स्व.मानाराम के 1/3 हिस्से मे से 0.97142856 हैक्टर मे से वादीगण 0.48571428 हैक्टर व 0.48571428 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या एक पांचाराम काबिज खातेदार है इस आशय की स्पष्ट खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे एवं मृतक नारायणी देवी, फुलाराम का खातेदारी में से नाम हटाया जाने की आज्ञा प्रदान करावे ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या एक ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए अपने नाम उक्त खसरान मे से 0.48571428 हैक्टर भूमि का खातेदार रखने का निवेदन किया है । प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद इतला अनुपस्थित । जिससे उनके विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वकील वादी साक्ष्य हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत किया । शामिल मिसल उपलब्ध है । वकील वादी ने एक-तरफा बहस सुनाई तथा बहस सुनी गई । बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वाद पत्र के संलग्न खतौनी 2068-71, फुला एवं नारायणी का प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र, सजरा खानदान में मृतक फुला वाद पत्र के पैरा संख्या 3 अनुसार फुला, माना का पुत्र है तथा नारायणी माना की पत्नी है । माना

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A3
38

के तीन पुत्र थे, गोपाल, फुला एवं पाचांराम थें । गोपाल लाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है । फुला नाऔलाद फौत होने से उनके नजदीकी वारिसान सगे भाई गोपाल के वारिसान, पांचाराम ही फुलाराम के हिस्से की सम्पति के कानूनन हकदार है, एवं फुला के नाऔलाद फौत होने का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है तथा फुला की पत्नी ग्यारसी देवी बतायी है , ग्यारसीदेवी पत्नी पुसाराम जाति बावरी निवासी हुलढ़ाणी पंचायत भादवा में करीबन 35 वर्ष पूर्व नाते चली गई थी। सरपंच भादवा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है । पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि फुलाराम मानाराम का पुत्र है तथा पांचाराम व मृतक का सगा भाई है । सरपंच के प्रमाण पत्र अनुसार नाऔलाद फौत होने पर एवं इनकी पत्नी करीबन 35 वर्ष पूर्व नाते चले जाना सरपंच भादवा के प्रमाण–पत्र से साबित होने पर वादीगण का वाद काबिल डिक्री पाया जाता है जो निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है ।

आदेश

ग्राम खारीया के खसरा नम्बर 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 900/94, 901/95, 902/96, 903/100, 904/101, कुल किता 12 कुल रकबा 5.11 हैक्टर मे मानाराम के 1/3 हिस्सा 0.97142856 हैक्टर मे से वादीगण रामप्रसाद पुत्र गोपाल, भंवरीदेवी पुत्री गोपाल,सन्तोष पत्नी कालूराम , किशोर,शंकर,गजेन्द्र पुत्र कालूराम को 0.48571428 हैक्टर, एवं प्रतिवादी पांचाराम पुत्र मानाराम जाति बावरी निवासी खारीया को 0.48571428 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । मृतक नारायणीदेवी एवं फुलाराम का नाम हटाया जाता है । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें ।

निर्णय आज दिनॉक 1/11/11 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)